Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 217-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017 (AGRAHAYANA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

संख्या आर्क०–2017/26744.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सहायक वास्तुक (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

भाग–1 सामान्य

1. ये नियम हरियाणा सहायक वास्तुक (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानातंरण से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(घ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्राय है, मुख्य वास्तुक, वास्तुकला विभाग, हरियाणा ;

(ड़) "संस्था" से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालाय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सहायक वास्तुक (ग्रुप–ख) सेवा।

भाग–II सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद समाविष्ट होंगे : पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई तथा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह वह निम्नलिखित न हो ;–

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा :

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

अर्हताएं और अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।

निर्हिताएं।

8. कोई भी व्यक्ति ,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,–

(i) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 33 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानातंरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परन्तु पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानातंरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर किसी रिक्ति पर पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से लग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से रिक्ति पर पुष्ट कर सकता है य या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग–अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित रूप से निश्चित की जायेगी :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानातंरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,–

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़ या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो या गैरः सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनायें या बनाये जायेंः

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबन्ध, उन सेवा के सदस्यों को लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवा में नियुक्त किये गये हैं (मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान को छोड़ कर)।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से निवृत होता है, अधिवर्षिता पेंशन किन्तु पेंशन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,–

(i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि ; या

(ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है ; या

(iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,–

(क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैंः

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी,–

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नति द्वारा ;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृति के समय दस वर्ष या अधिक हैः

(iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्त, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट उपबंध अंतर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है।

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होगीं जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात नियुक्त हुये हैं (मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान को छोड़कर)।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगी बशर्ते सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

टिप्पणः– इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जायेगा।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा तथा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे: अनुशासन, शास्तियां, अपीलें।

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करें, पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीत हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुये, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्ते लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

20. हरियाणा वास्तुक सेवा श्रेणी II नियम, 1976, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैः निरसन तथा व्यावृति

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक वास्तुक	10	—	10	स्तर–9/सैल–1 में = ₹53100

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1.	2.	3.	4.
1.	सहायक वास्तुक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुकला संस्थान की ऐसोसियेट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) ; (ii) व्यक्ति वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अनुसार वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत होना चाहिए ; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर स्तर तक शिक्षा हिन्दी/संस्कृत।	**पदोन्नति द्वारा–** वास्तुक सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुकला संस्थान की ऐसोसियेट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) और वास्तुकला परिषद् से पंजीकृत। अथवा वास्तुक सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव तथा वास्तुकला सहायकी में तीन वर्षीय उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) कोर्स या सिविल प्रारूपकार उपाधि–पत्र (डिप्लोमा) अथवा वास्तुक सहायक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव जो उपाधियां उपाधि–पत्र नहीं रखता है ; **स्थानातंरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक उपाधि या भारतीय वास्तुकला संस्थान की ऐसोसियेट सदस्यता (परीक्षा द्वारा) ; (ii) व्यक्ति वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अनुसार वास्तुकला परिषद से पंजीकृत होना चाहिए ; (iii) मैट्रिक या उच्चतर स्तर तक शिक्षा हिन्दी/संस्कृत ; तथा (iv) सहायक वास्तुक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	सहायक वास्तुक	सरकार	**(I) लघु शास्तियाँ** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट। **(II) बड़ी शास्तियाँ** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।	विभागाध्यक्ष सरकार	सरकार सरकार

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	सहायक वास्तुक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उसको अधिवर्षिता के लिए नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	सरकार

आलोक निगम,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 30 नवम्बर, 2017.

HARYANA GOVERNMENT

ARCHITECTURE DEPARTMENT

Notification

The 12th December, 2017

No. Arch-2017/26744.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Service of Assistant Architects (Group B) namely:-

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Service of Assistant Architects (Group B) Rules, 2017.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government :

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(d) "Head of the Department" means the Chief Architect , Architecture Department, Haryana;

(e) "recognized University" means –

(i) any University incorporated by law in India, or

(ii) any other University which is declared by the Government to be a recognized University for the purposes of these rules;

(f) "Institution" means ;-

(i) any Institution established by the law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other Institution recognized by the Government for the purpose of these rules.

(g) "Service" means the Haryana Service of Assistant Architects (Group B).

PART II

RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to the service unless he is –

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging the categories (b) or (c) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Haryana Public Service Commission or any other Recruiting Authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

(3) No person shall be appointed to the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointing authority

6. Appointments to the posts in the service shall be made by the Government.

Qualifications

7. No person shall be appointed to the service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column number 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column number 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Disqualifications.

8. No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the service shall be made,

(i) 67% by direct recruitment; and

(ii) 33% by promotion; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

Provided that in case suitable candidates are not available for promotion, the vacancies shall be filled by direct recruitment.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Person appointed to the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that –

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the Appointing Authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this Rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation**,** but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation shall be entitled to be confirmed against vacancy.

(2) If in the opinion of the Appointing Authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment, -

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the Appointing Authority may, -

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory confirm such person from the date of his appointment against vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory ;

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority of members of Service.

11. Seniority, inter se of the members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the Appointing Authority.

A member of service may also be deputed for service as under:-

(i) a Company, Association or Body of Individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a Local Authority within the State of Haryana;

(ii) The Central Government or Chandigarh Administration, Chandigarh or Company, Association or Body of Individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) another State Government, an International Organization, an Autonomous Body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to the Central or any other State Government or any Organization or Body referred to in clauses (ii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, by Haryana Civil Services (Travelling Allowances) Rules, 2016, Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the Competent Authority of India under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislative:

(2) Provided that the provisions of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to the members of service appointed on or after the Ist January, 2006 (except Death cum Retirement Gratuity). A Government employee who retires from a service or post shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) -

(i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his service; or

(ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years; or

(iii) a period of five years,

whichever is least, if the service or post to which the Government employee is appointed is one—

(a) for which post-graduate research of specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and

(b) to which candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee—

(i) appointed by direct recruitment and not by promotion;

(ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement;

(iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the service or post is one which carries the benefit of this rule:

Provided that the provision of sub-rule (2) shall not be applicable to those member of service who appointed on or after Ist January 2006 except to Death- cum- Retirement Gratuity.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other Department; provided the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note.— *The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.*

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, member of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clauses (c) or (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and Appellate Authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the service unless he has already done so, shall be required to take the Oath of Allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the Appointing Authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time, under clause (4) of article 16 of the Constitution.

Repeal and savings.

20. The Haryana Service of Architects, Class II Rules, 1976 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

Appendix A

(see Rule 3)

Serial Number	Designation of Post	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Architect	10	–	10	Level–9/Cell-1 = ₹ 53100

Appendix B

(see Rule 7)

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification or experience, if any for direct recruitment	Academic qualification or experience, if any for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
	Assistant Architect	(i) Bachelor's Degree in Architecture of a recognized University or Associate Membership of the Indian Institute of Architects (by Examination); (ii) Person should be registered with Council of Architecture in accordance with Architects Act, 1972; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.	**By promotion** Three years experience as Architectural Assistant and Bachelor's Degree in Architecture of a recognized University or Associate Membership of the Indian Institute of the Architects (by Examination) and Registered with the Council of Architecture. or Five years experience as Architectural Assistant and three years diploma course in Architectural Assistantship or Civil Draftsman diploma. or Eight years experience as Architectural Assistant not having other degree or diploma. **By transfer/ deputation.** (i) Bachelor's Degree in Architecture of a recognized University or Associate Membership of the Indian Institute of the Architects (by Examination); (ii) Person should be registered with Council of Architecture in accordance with Architects Act, 1972; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education. (iv) Three years experience as Assistant Architect.

Appendix C

[see Rule 14 (1)]

Serial Number	Designation of Post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Architect	Government	**I. Minor Penalties** As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Head of Department	Government
			II. Major Penalties As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Government	Government

Appendix D

[see Rule 14 (2)]

Serial Number	Designation of Post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1	Assistant Architect	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rule Government pension; (ii) Terminating the appointment of a member of the service other than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	Government

ALOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government Haryana
Architecture Department.

Chandigarh:
The 30th November, 2017

55860—C.S.—H.G.P., Chd.